

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 549 /

दिनांक :-

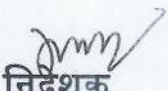
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मूलचंद वर्मा [लिंक न. 549] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), चित्तौड़गढ़ - [1510] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 02.07.2013 से 20.02.2014 तक 234 दिवस

कुल 234 दिवस

उक्त कुल दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मूलचंद वर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 549 / 39

दिनांक :- 18-01-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), चित्तौड़गढ़
2. कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मूलचंद वर्मा [549] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), चित्तौड़गढ़
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)